मा० परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 09—02—2018 को सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:—

1— श्री डी0 सेन्थिल पाण्डियन, सचिव एवं आयुक्त परिवहन, उत्तराखण्ड।
2— श्री अशोक कुमार, पुलिस उप महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय।
3— श्री दिलीप जावलकर, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
4— श्री चन्द्रशेखर भट्ट, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल।
5— श्री हरिचन्द्र सेमवाल, अपर सचिव, परिवहन एवं आबकारी, उत्तराखण्ड शासन।
6— श्री एल0एन0 पन्त, अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7— श्री अजय रौतेला, अपर सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8— डॉ0 धीरज पाण्डेय, अपर सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9— श्री राजेश कुमार, अनु सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10— श्रीमती सुनीता सिंह, अपर परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11— श्री केवल खुराना, उप महानिरीक्षक (यातायात), उत्तराखण्ड।
12— श्री लोकेश्वर सिंह, पुलिस अधीक्षक (यातायात), देहरादून।
13— श्री एस0के0 सिंह, सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
14— श्री अरविन्द पाण्डेय, सहायक संभागीय अधिकारी, देहरादून।
15— श्री नरेश संगल, सहायक निदेशक, सड़क सुरक्षा परिवहन, उत्तराखड।
16— श्री हरिओम शर्मा, मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
17— श्री आर0सी0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
18— श्री जे0पी0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
19— श्री राजेश चन्द शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, एन0एच0, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
20— श्री एस0के0 काम्बोज, उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
21— श्री वी0एस0 राणा, अपर जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।
22— श्री दीपक जैन, महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
23— श्री प्रबोध कुमार, यातायात निरीक्षक, सदस्य लीड एजेंसी।
24— श्री नीरज जोशी, उप निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
25— श्री सैयद रूबैद, एन0एच0ए0आई0, नजीबाबाद।
26— श्री पी0एन0गावासाने, आर0एस0ओ0, एन0एच0ए0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
27— श्री अंशुल शर्मा, प्रबन्धक (तकनीकी), एन0एच0ए0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
28— श्री एस0के0 वर्मा, प्रबन्धक (तकनीकी), एन0एच0ए0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
29— श्री निखिलेश नौटियाल, एन0एच0ए0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
30— श्री भारत लाल चौधरी, ए0एच0ई0/आई0सी0टी0, एन0एच0ए0आई0।
31— श्री बी0बी0 सिंह, उप महाप्रबन्धक, इरा इन्फ्रा, एन0एच0ए0आई0।
32— श्री नन्द राम, अनुभाग अधिकारी, परिवहन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

AO(RS) ... 08/03/18

12 ... 2018 1502

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए सचिव, परिवहन द्वारा मा0 परिवहन मंत्री जी के समक्ष उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2016 एवं 2017 में घटित सड़क दुर्घटनाओं का जनपदवार विवरण प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 के प्रथम माह जनवरी में जनपदवार घटित सड़क दुर्घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं में से लगभग 80 प्रतिशत दुर्घटनाएं केवल 04 जनपदों (देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंह नगर) में ही घटित हो रही हैं।

2— सचिव, परिवहन द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति (Supreme Court Committee on Road Safety) के निर्देश पत्र दिनांक 24—11—2017 एवं 16—01—2018 का विवरण प्रस्तुतीकरण के माध्यम से परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त परिषद के समक्ष मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30—11—2017 का बिन्दुवार विवरण भी प्रस्तुत किया गया।

3— बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों से विस्तृत विचार—विमर्श के उपरान्त मा0 परिवहन मंत्री जी द्वारा निम्नवत् निर्देश दिए गए:—

(1) राज्य में दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सभी स्टेक होल्डर विभागों द्वारा आपसी समन्वय के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(2) यह भी निर्देश दिये गये कि दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सभी जिलों को एक्टिवेट किया जाये। जिला सड़क सुरक्षा समितियों की नियमित बैठक आहूत करते हुए, निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाये:—

एक— जनपद में स्थित ब्लैक स्पॉट के निराकरण की कार्यवाही।

दो— ब्लैक स्पॉट से इतर अन्य दुर्घटना सम्भावित स्थलों का निरीक्षण एवं उनके सुधारीकरण की कार्यवाही।

तीन— जनपद चम्पावत के टनकपुर के निकट हाल ही में घटित सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हुई है। उक्त दुर्घटना प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व घटित हुई। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के अन्तर्गत पर्वतीय मार्गों पर रात्रि में वाहनों के संचालन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, उक्त प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

चार— हैल्मेट/सीट बैल्ट सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

पांच— मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में चिन्हित अभियोगों में सम्बन्धित चालक के लाईसेंस के विरूद्ध 03 माह के अनर्हरीकरण की कार्यवाही कड़ाई से किया जाना।

छः— सोलेशियम स्कीम के अन्तर्गत प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही।

(3) लोक निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा दिनांक 12—01—2018 को 15 रोड सेफ्टी ऑडिटर के इम्पेनलमेंट की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है तथा

वर्ष 2018 से 2020 तक क्रमशः 3000, 5000, 4000 कि0मी0 का रोड सेफ्टी ऑडिट कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के अतिरिक्त चिन्हित 120 ब्लैक स्पॉट का रोड सेफ्टी ऑडिट पहले पूर्ण कर लिया जाये, ताकि उनका सुधारीकरण करते हुए, दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सके।

(4) पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा ब्लैक स्पॉट से इतर 346 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उक्त चिन्हित स्थलों की सूची लीड एजेंसी एवं लोक निर्माण विभाग को भी प्राप्त करा दी जाये। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त स्थलों के सुधारीकरण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर करायी जाये।

(5) पुलिस विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कई दुर्घटनायें सड़कों पर लेन मार्किंग न होने के कारण भी घटित हो रही है, जिन्हें लघुकालीन कार्य करते हुए, रोका जा सकता है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि लोक निर्माण विभाग द्वारा 20–02–2018 तक सभी मुख्य मार्गों पर व्हाईट लाईन मार्किंग का कार्य पूर्ण कर लिया जाये।

(6) वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि माह अप्रैल, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक कुल 52721 वाहनों का चालान बिना बीमा प्रमाण पत्र के अभियोग में किया गया है, जिनमें से 8767 वाहनों को बन्द किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि मा0 सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

(7) पूर्व में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा प्रथम चरण में 10 स्थानों पर ऑटोमेटेड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना का निर्णय लिया गया था। परिषद को अवगत कराया गया कि वर्तमान में हरिद्वार एवं हल्द्वानी में भूमि विभाग के नाम हस्तान्तरित हो गयी है, जबकि ऋषिकेश, कोटद्वार, अल्मोड़ा, काशीपुर आदि में कार्यवाही गतिमान है। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त ट्रैक निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिकृत सलाहकारों में से कन्सल्टेन्ट नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये।

(8) मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य में सड़क सुरक्षा कोष का गठन कर लिया गया है, परन्तु उक्त कोष में प्रशमन शुल्क का 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत धनराशि जमा किये जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

(9) आबकारी विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों से शराब की दुकानों को हटाये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि दुकानों को हटाये जाने की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाये।

(10) मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–11–2017 के अन्तर्गत यह निर्देश दिये गये है कि कम से कम प्रत्येक जनपद में 01 ट्रॉमा सेन्टर की स्थापना की

जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पण्डित परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिये गये निर्देशों का पालन करने की भी अपेक्षा की गयी है। तद्नुसार चिकित्सा विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाये।

(11) इसी प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–11–2017 के अन्तर्गत राज्यों को दिनांक 31–03–2018 तक सड़क सुरक्षा कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों का सभी विभागों द्वारा समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करते हुए, अपनी कार्ययोजना दिनांक 15–03–2018 तक लीड एजेंसी को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

(12) अवगत कराया गया है कि वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 31.01.2017 एवं 21.09.2017 निर्गत की गयी है। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि राज्य में कई आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(13) सिनेमाघरों में प्रत्येक शो से पहले रोड सेफ्टी फिल्म के प्रदर्शन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्तमान में 53 सिनेमाघरों में से 45 सिनेमाघरों में सड़क सुरक्षा फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि तम्बाकू विज्ञापन की भांति सड़क सुरक्षा फिल्मों के विज्ञापन में भी दुर्घटना के प्रभावित व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना उचित होगा। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि पुलिस विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में विज्ञापन तैयार कराये जायेंगे और उनका प्रदर्शन सिनेमाघरों में कराया जायेगा।

(14) वर्तमान में राज्य के 19 परिवहन कार्यालयों में से 14 परिवहन कार्यालयों में सारथी 4.0 सॉफ्टवेयर लागू कर दिया गया है। अवशेष 05 कार्यालयों में अपेक्षित बैडविड्थ/स्वॉन कनैक्टिविटी न होने के कारण 'सारथी 4.0' रोलआउट किये जाने में कठिनाई हो रही है। इस सम्बन्ध में आई0टी0डी0ए0 से उक्त 05 कार्यालयों में बैडविड्थ/स्वॉन कनैक्टिविटी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि आई0टी0डी0ए0 से प्राथमिकता के आधार पर कनैक्टिविटी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाये। इसके अतिरिक्त जब तक आई0टी0डी0ए0 से अपेक्षित कनैक्टिविटी प्राप्त नहीं होती है, अन्य नेटवर्क सेवा प्रदाता कम्पनियों से परीक्षण कराते हुए तत्काल नेटवर्क की समस्याओं को प्राथमिकता पर दूर कराया जाय।

(15) परिवहन विभाग के संरचनात्मक ढॉचे के पुनर्गठन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर यह निर्देश दिये गये कि सेवा सम्बन्धी विभागीय प्रकरणों को परिषद् की बैठक में भविष्य में प्रस्तुत न किया जाये। सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक में केवल व्यापक रूप से प्रदेश के सड़क सुरक्षा सम्बन्धी प्रकरणों को ही प्रस्तुत किया जाये।

(16) महाप्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में चकराता क्षेत्र में उत्तराखण्ड परिवहन निगम की केवल 02 सेवायें संचालित थी, जिन्हें वर्तमान में बढ़ाकर 07 कर दिया गया है। उक्त सेवाओं के प्रति जनता का

अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस सम्बन्ध में मा० मंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये कि चकराता क्षेत्र में उत्तराखण्ड परिवहन निगम की और अधिक सेवायें बढ़ाये जाने पर विचार कर लिया जाये और ऐसे प्रयास किये जायें कि लोग यूटीलिटी के स्थान पर बसों में यात्रा को प्राथमिकता दें।

(17) आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल को निर्देश दिये गये कि वे अपने अधीन जनपदों में घटित दुर्घटनाओं की मासिक समीक्षा करें तथा सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(डी0सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या– 142 /23(2014)/ix–1/2018
देहरादूनः दिनांक 05 मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा/शिक्षा/आबकारी/वित्त/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/गृह/लोक निर्माण/शहरी विकास विभाग एवं वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
5– आयुक्त गढ़वाल/कुमांयूँ मण्डल।
6– पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल/कुमांयूँ मण्डल।
7– परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– आयुक्त मनोरंजन कर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
11– महानिदेशक, शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
12– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, देहरादून।
13– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
14– निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
15– क्षेत्रीय अधिकारी, एन0एच0आई0, उत्तराखण्ड परिक्षेत्र।
16– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
17– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।